कार्यालय, प्राचार्य शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय सुकमा, जिला–सुकमा (छ.ग.)

क्रमांक / 524 / स्था० / 2025, सुकमा, दिनाँक 07 / 08 / 2025

:: अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन ::

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 07 / 2025 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. एफ–3–54 / स्था. / 2020 / 38–1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20 / 06 / 2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के अन्तर्गत इस महाविद्यालय में रिक्त सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आंमत्रित किया गया है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 18 / 08 / 2025 सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर पावती प्राप्त करेंगें। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया "अतिथि व्याख्याता नीति–2024" के परिपालन में किया जाएगा। अतिथि व्याख्याता नीति का अध्ययन इस विज्ञप्ति के साथ महाविद्यालय के सूचना पटल / वेबसाइट **http://govtcollegesukma.ac.in** से किया जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं–

रिक्त पदों का विवरण		
क्र.	विषय	सहायक प्राध्यापक
01	राजनीति विज्ञान	01

टीप :– रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

07/08/25

प्राचार्य
शास. आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय
सुकमा, जिला–सुकमा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 524A / स्था. / 2025
सुकमा, दिनांक 07 / 08 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर बस्तर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी, सुकमा को समाचार स्वरूप प्रकाशनार्थ एवं सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुकमा को सूचनार्थ।
6. सूचना पटल / वेबसाइट में अपलोड हेतु।
7. अतिथि व्याख्याता चयन समिति फाईल।

07/08/25

प्राचार्य
शास. आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय
सुकमा, जिला–सुकमा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

Application Form

Advertise No. / Date : .....

Post applied for: .....

Subject: .....

College Name: .....

.....

Self-attested passport size colour photograph

(Do not staple)

GENERAL INFORMATION AND ACADEMIC BACKGROUND

1	Name (in English block letter)	:	.....
2	Name (in Hindi)		.....
3	Father's/Husband's Name		.....
4	Mother's Name		.....
5	Date of Birth		.....
6	Place in Birth		.....
7	Religion		.....
8	Category		UR/ST/SC/OBC .....
9	State of Domicile		.....
10	Whether Physically Handicapped? (If 'yes' state whether VH/HH/OH)		Yes/No .....
11	Gender		Male/Female/Other .....
12	Nationality		.....
13	Contact Details		
14	(a) Address for Correspondence	(b) Permanent Address	
	(c) Mobile/Phone	(d) Email ID	

Signature of the Candidate ----------

Scanned with OKEN Scanner

12. Academic Qualification (Commencing with the intermediate/Senior Secondary Certificate Examination) (Attach self-attested copies)

Examination/ Degree	University/ Board	Subject	Year of Passing	Marks Obtained	Total Marks	% of Marks	Division/ Grade	Remakrs if any
10th								
12th								
BA/BSc/B.Com								
PG M.A. / M.Sc								
Other								

(Enclose self-attested relevant documents in sequence)

13. Research Degree

Degree	Subject	University	Notification No. with Date	Title of the Thesis
Ph.D.				
D.Litt./D.Sc.				
Any Other				

(Enclose self-attested relevant documents in sequence)

14. Ph.D./NET/SET/ M.Phil.

A	Whether Ph.D. awarded as per UGC Regulation 2009/2016	Yes/No
B	Whether qualified NET/SET/SLET? SET/SLET from C.G. State only (attach certificate)	Yes/No
C	M.Phil.	Yes/No

(Enclose self-attested relevant documents in sequence)

15. Teaching/Work Experience (Give particulars in descending order starting with the Current Position)

Employer	Institute/ University	Designation	Nature of Job	Pay Scale	Period of Employment	
					From	To

(Enclose self-attested relevant documents in sequence)

Scanned with OKEN Scanner

16. Research Publication:

Author/Title of Paper	Year	Journal name	Volume and page No.

(Enclose self-attested relevant documents in sequence)

Signature of the Candidate ----------

17. List of Enclosures:

1.	11.	21.
2.	12.	22.
3.	13.	23.
4.	14.	24.
5.	15.	25.
6.	16.	26.
7.	17.	27.
8.	18.	28.
9.	19.	29.
10.	20.	30.

Note : All particulars should be supported by relevant documents.

18. Declaration by the Candidate: I hereby declare that:

I have read the detailed Employment Notice and I shall abide by all the Terms and Conditions of the advertisement.

The entire information given in this application form are true to the best of my knowledge and belief. If at any time, I am found to have declared any material/information's or given any false details, my appointment shall be liable to be summarily exterminated without notice or compensation.

Date:

Place:

Signature and Name of the Candidate

Scanned with OKEN Scanner

No.: L-201----------22----------
AD----------/JD/----------/DD----------
Section----------
Date 21 JUN 2024 C.H.E.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
— — 0 — —

क्रमांक एफ 3—54/स्था./2020/38—1, **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024**

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़,

विषयः—उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने बाबत्।

———

राज्य शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति—2024 को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून, 2024 (आयटम क्रमांक 10.06) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः अतिथि व्याख्याता नीति—2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

2/ निर्देशानुसार उक्त नीति में दी गई व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।
(पृ. 01 से 19 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कीर्तिवर्धन उपाध्याय)
अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3—54/स्था./2020/38—1, **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024**

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
3. महालेखाकर, रायपुर, कार्यालय रायपुर, (छ.ग.)
4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
5. विशेष सहायक, मा. मंत्री उच्च शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर
7. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, (न्यायालयीन शाखा) मंत्रालय
7. समस्त क्षेत्रिय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग (छ.ग.)
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, (छ.ग.)
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
10. वेब साईट में अपलोड हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. आदेश फोल्डर,

20.6.24
अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

latter 2021

Scanned with OKEN Scanner

अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) – 2024

1. प्रस्तावना :–

वर्तमान में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयो में प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं का अध्यापन, प्रायोगिक, खेल–कूद, पुस्तकालय एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। अतः कक्षाओं में अध्यापन कार्य तथा पुस्तकालय एवं खेल–कूद संबंधी कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु यह नीति प्रस्तावित है। इस नीति के तहत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध होने की स्थिति में **अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी** की व्यवस्था की जा सकेगी एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में **अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक** की व्यवस्था की जा सकेगी।

इस नीति में आगे की कंडिकाओं में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक तथा अतिथि क्रीडा सहायक को संबोधन हेतु **"अतिथि व्याख्याता एवं अन्य"** उल्लेखित किया जायेगा। इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित रिक्त पद का तात्पर्य सीधी भर्ती के रिक्त पद से होगा। यह नीति छत्तीसगढ़ राज्य के अंर्तगत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों के लिये वर्ष 2024–25 के शिक्षा सत्र से लागू होगी तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

2. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए रिक्त पदों की गणना :–

2.1 स्वीकृत नियमित प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीडा सहायक रख सकते हैं, इनके लिए पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं होगा।

2.2 प्रत्येक शिक्षा सत्र् में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों के स्वीकृत पदों क्रमशः प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या उस शिक्षा सत्र के लिए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए रिक्त पदों की संख्या मानी जायेगी।

2.3 किन्तु सभी रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन जारी करना अनिवार्य नहीं होगा अपितु अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड एवं निर्धारित वर्कलोड के अनुसार विज्ञापन जारी किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. विज्ञापन आमंत्रण की प्रक्रिया :–

3.1 अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की व्यवस्था हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें 05 से 06 सदस्य सम्मिलित होगें। समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य/वरिष्ठतम शिक्षक अध्यक्ष होगें, एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा महिला वर्ग से होंगे। यदि उपरोक्त श्रेणी के सदस्य कार्यरत न हो तो छूट प्राप्त होगी।

3.2 समिति द्वारा रिक्त पदों की गणना कर, विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन तैयार किया जायेगा।

3.3 रिक्त पदों हेतु जारी किये जाने वाला विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा (प्रारूप–1) जिसे राज्य स्तरीय 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा। इसके अतिरिक्त विस्तृत विज्ञापन (परिशिष्ट–1 अ) का प्रकाशन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट (महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट) में किया जाना अनिवार्य होगा।

3.4 आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही के लिए सॉफ्टवेयर/ऐप तैयार किया जायेगा। सॉफ्टवेयर/ऐप तैयार होने तक आवेदनकर्ता निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन संबंधित संस्था में पंजीकृत/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर, पावती प्राप्त करेंगे। आवेदन लेने संबंधी किसी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत होने पर संबंधित संभागीय क्षेत्रीय अपर संचालक को निवारण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। जिसका निराकरण संभागीय क्षेत्रीय अपर संचालक के द्वारा शिकायत प्राप्ति के 03 दिवस में किया जायेगा।

3.5 यदि किसी संस्थान में एक ही विषय के प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के एक से अधिक रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है तो उक्त विषय हेतु अभ्यर्थी एक ही आवेदन उक्त संस्थान में करेंगे, पृथक–पृथक नहीं। संबंधित विषय की मेरिट सूची में वरीयता के क्रमानुसार ही प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर व्यवस्था की जायेगी ।

4. आवेदन पत्रों का संधारण, परीक्षण एवं वरीयता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :–

4.1 विज्ञापन अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को समिति द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर पंजी को सत्यापित किया जायेगा।

4.2 समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करके कंडिका–06 के प्रावधान अनुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4.3 मेरिट सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाईट में किया जायेगा। प्रकाशन दिनांक से 03 दिन के भीतर दावा–आपत्ति आमंत्रित की जायेगी, जिसका निराकरण समिति द्वारा 02 दिवस में किया जायेगा।

4.4 अंतिम सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाईट पर किया जायेगा तथा संबंधितों को भी सूचित किया जायेगा।

4.5 इनके लिये शैक्षणिक/ग्रंथालय संचालन/क्रीड़ा संबंधित अनुभव का लाभ का प्रावधान होगा। अनुभव प्राप्त करने के लिये एक शैक्षणिक सत्र् में न्यूनतम 05 माह कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

4.6 यदि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की विगत सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या आवेदित महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन एवं अन्य किसी प्रकार की शिकायत सही पाये जाने/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में सेवायें समाप्त की गई हो तो उनके आवेदन पर आगामी दो शैक्षणिक सत्रों तक विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

5.1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

5.2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–5.1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5.3 **आयु सीमा** :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

5.4 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

5. **मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण :–** अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(अ) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ – कुल अंक – 240

(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 100 अंक प्रदर्शन एवं साक्षात्कार हेतु)

(ब) शेष राजकीय विश्वविद्यालयों हेतु – कुल अंक– 160

(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 20 अंक साक्षात्कार हेतु)

(स) महाविद्यालयों हेतु – कुल अंक – 140

(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक)

6.1 पी–एच.डी./नेट/सेट/एम.फिल के लिये अधिकतम 50 अंक

(क)	पी–एच.डी. के लिए	– 30 अंक
(ख)	नेट/सेट के लिए	– 20 अंक
(ग)	एम.फिल. के लिए	– 15 अंक

6.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक –

(55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा)

6.3 शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक –

(पी–एच.डी./एम.फिल.में प्रकाशित शोध पत्रों को छोडकर यूजीसी केयर जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 02 अंक)

6.4 अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक –

शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर – 05 अंक

6.5 अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :–

श्रेणी– 1 संबंधित विषय में पी–एच.डी.

श्रेणी– 2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण

श्रेणी– 3 संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

6.6 अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक :–

अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

6.7 विशेष टीप :–

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जावेगी। श्रेणी–1 के अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो क्रमशः श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था हेतु शेष अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जायेगा।

2. अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता (स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रतिशत) से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम के आधार पर विचार कर चालू शैक्षणिक सत्र के लिए अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। किन्तु यह व्यवस्था योग्य अभ्यर्थी मिलने पर अथवा केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावशील होगी।

6.8 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा यदि चालू शिक्षा सत्र में उच्च शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है तो समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट/उपाधि का सत्यापन करने के दिनांक से वरीयता क्रम में संशोधन एवं बढ़े हुए मानदेय के लाभ की पात्रता होगी। इस हेतु संस्था प्रमुख के समक्ष प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.9 सत्र के मध्य में नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण विस्थापित अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को संस्था प्रमुख व्दारा विस्थापन प्रमाण–पत्र के साथ उस सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अभिलेखीकरण :–

7.1 चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

7.2 चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट–2) देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

7.3 कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण में अभिलेख सही पाये जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. सेवा समाप्ति :–

8.1 शिक्षा सत्र् के दौरान किसी विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की स्थिति में उक्त विषय के अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी एवं ऐसी स्थिति में श्रेणी–1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी विस्थापित श्रेणी में माने जायेंगे।

8.2 यदि प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के एक ही विषय के विरूद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता कार्यरत है एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से एक पद भरे जाने की स्थिति में उस विषय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि मेरिट लिस्ट में दो या दो से अधिक कनिष्ठ अतिथि व्याख्याताओं को समान अंक प्राप्त है तो आयु में कनिष्ठतम अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी।

8.3 इनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर इनको 07 दिवस का कारण बताओं सूचना जारी किया जायेगा एवं उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा इनकी व्यवस्था समाप्त करने की सूचना जारी की जायेगी।

8.4 जिन विषयों के अतिथि का मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाया जायेगा उन्हें आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्यवस्था की जायेगी।

8.5 इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो किसी भी समय इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

8.6 आवेदक यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी व्यवस्था स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

8.7 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा बिना सूचना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी। इस आशय की लिखित सूचना प्राचार्य द्वारा संबंधित को जारी की जायेगी। सूचना देकर अवकाश में रहने की स्थिति में प्रकरण का निराकरण प्राचार्य के विवेकाधीन होगा।

9. विस्थापन की व्यवस्था :–

किसी संस्थान में नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत श्रेणी–1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को विस्थापित की श्रेणी में माना जायेगा।

9.1 विस्थापित को अपने पूर्व संस्थान से विस्थापन एवं कार्य सतोषजनक पाये जाने एवं अनुभव संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट–3) कार्यरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

9.2 नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से प्रभावित होने पर श्रेणी–1, 2 एवं 3 के विस्थापित अभ्यर्थी उसी जिले के अन्य संस्थान में एवं उस जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी संभाग के अन्य जिले में एवं संभाग में रिक्त नहीं होने की स्थिति में राज्य के अन्य जिले में रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

9.3 प्रत्येक शिक्षा सत्र में 01 जून की स्थिति में महाविद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियों की जानकारी प्रत्येक महाविद्यालय (स्वयं का), अग्रणी महाविद्यालय (जिले के समस्त महाविद्यालयों का) एवं विभाग (राज्य के समस्त महाविद्यालयों का) की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। विस्थापित अतिथि व्याख्याता निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन, पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी विस्थापन प्रमाण–पत्र एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ अधिकतम 03 महाविद्यालयों में 15 जून तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सत्र के मध्य में भी किसी विस्थापित व्याख्याता द्वारा किसी भी महाविद्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना विज्ञापन जारी किये विस्थापित व्याख्याता की सेवाएं ली जा सकेंगी।

9.4 प्रत्येक महाविद्यालय में जिन रिक्त पदो के लिए विस्थापित श्रेणी के आवेदकों से आवेदन प्राप्त होंगे उन पदों पर अतिथि की व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा। यदि एक ही विस्थापित का आवेदन प्राप्त होता है तो उसे इस व्यवस्था के अंतर्गत लिया जायेगा किन्तु एक से अधिक विस्थापितों के आवेदन की स्थिति में उनकी परस्पर वरीयता अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त विस्थापित को इस व्यवस्था अंतर्गत लिया जायेगा। परस्पर वरीयता का निर्धारण कंडिका–06 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

9.5 श्रेणी–1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिये नियमित पदस्थापना होने तक एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा एवं उसी संस्थान में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जायेगा।

9.6 जिन संस्थानों में अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की सेवायें ली जाती है उन संस्थानों में प्रत्येक नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जायेगा एवं अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी की उपलब्धता होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के स्थान पर रखा जा सकेगा अन्यथा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की सेवायें यथावत ली जायेगी।

9.7 अधिसूचित क्षेत्र की जिन शिक्षण संस्थानों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि में 55 अथवा 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक को शिथिल करते हुए अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था की गई है, में भी नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जाकर कंडिका–06 अनुसार वरीयता सूची अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

10. मानदेय :– अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	**40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	**60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	**दैनिक मानदेय**		
5	**विवरण**	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि कीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/–प्रतिदिन (40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

10.1 प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा।

10.2 अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिए प्रतिदिन 07 घंटा कार्य किया जाना अनिवार्य है।

10.3 महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु शैक्षणिक कालखंडों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के समुचित एवं चहुंमुखी विकास की दृष्टि से अन्य गतिविधियों का संचालन एवं कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य से अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, विभिन्न योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी सहयोग लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे।

10.4 कंडिका 10.3 में दर्शित विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त कार्यों के लिये प्रति कार्य दिवस 01 कालखंड मानकर माह में अधिकतम 20 कालखंडों का भुगतान किया जायेगा।

10.5 अतिरिक्त कार्यों के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्य दिवस 400/– रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 8000/– रु. देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय को मिलाकर रू. 50,000 से अधिक का मासिक भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा 50,000 रू. होगी। अतिथि शिक्षण सहायक को प्रति कार्य दिवस 300/– रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 6000/– रु. देय होगा।

10.6 अतिरिक्त कार्यों के लिए मानदेय प्रति माह दिये जाने वाले अध्यापन कालखंड के अधिकतम मानदेय के अतिरिक्त देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. अवकाश सुविधाः–

11.1 पी–एच.डी. हेतु कोर्स वर्क/शोध–ग्रंथ कार्य पूर्ण करने के आवेदन पर अधिकतम 180 दिवस का अवैतनिक पी–एच.डी. अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

11.2 प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अधिकतम 180 दिवस के लिये दिये जायेंगे। प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन भुगतान नही किया जायेगा। संस्था प्रमुख द्वारा उक्त अवधि का अवैतनिक प्रसूति अवकाश (अतिथि) स्वीकृत किया जायेगा।

11.3 अधिकतम 180 दिवस से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को पुनः उसी महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी किन्तु नया विज्ञापन प्रकाशित होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन की पात्रता होगी।

11.4 उक्त अवधि के दौरान अध्ययन–अध्यापन के सुचारू संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् प्रतीक्षा सूची से अन्य वैकल्पिक व्याख्याताओं की व्यवस्था इस शर्त पर की जायेगी कि अवकाश में गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के पी–एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश उपरान्त वापस कार्यभार ग्रहण करने पर वैकल्पिक व्याख्याता को उनके कार्य से स्वतः कार्यमुक्त माना जायेगा।

11.5 वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में मानदेय एवं 01 शिक्षा सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करवाने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी किन्तु विस्थापित श्रेणी की पात्रता नहीं होगी। अवकाश पर प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा अधिकतम 180 दिवस अवकाश का उपभोग के पश्चात् निर्धारित तिथि पर कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा यदि वैकल्पिक व्याख्याता से आगे भी अध्यापन कार्य निरंतर रखा जाता है तब ऐसे वैकल्पिक व्याख्याताओं को विस्थापित श्रेणी की भी पात्रता होगी।

11.6 वैकल्पिक व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट–4) देना होगा।

11.7 पी–एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश लेने वाले अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य को उस अवधि के अनुभव का लाभ प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

12. विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी :–

श्रेणी–1, 2 एवं 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता जिन्हें 03 शैक्षणिक सत्र (न्यूनतम 15 माह) का अध्यापन अनुभव है, वे राज्य के विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रुप में कार्य संपादन कर सकते है। जिसका भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय व्दारा उनके मूल्यांकन हेतु प्रचलित नियमानुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

13. न्यायालयीन प्रकरण :–

13.1 इस नीति के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की व्यवस्था की प्रकिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के भविष्य में जारी होने वाले निर्णयों के अध्यधीन होगी।

13.2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्थगन आदेश जारी किये है, ऐसे अतिथि व्याख्याताओं पर इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होगें।

14. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु अन्य निर्देश :–

14.1 इसी नीति के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

14.2 अतिथि व्यवस्था अंतर्गत प्रत्येक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु कार्य संपादन कराया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत सेमेस्टर पद्धति लागू होने के उपरांत प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत दिए जाने वाले अवकाश अवधि के अनुरूप वर्ष में 01 बार के स्थान पर 02 बार ब्रेक दिये जाने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा।

14.3 संस्था प्रमुख का दायित्व होगा कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य (कंडिका 10.2 एवं कंडिका 10.5 अनुसार) के कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से दैनिक उपस्थिति विवरण संधारित करें एवं तद्नुसार मानदेय का मासिक देयक तैयार कर प्रति माह भुगतान सुनिश्चित करें।

14.4 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–5) में संधारित किया जायेगा। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य में सुधार लाने हेतु चेतावनी जारी की जायेगी।

14.5 एक साथ दो संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं किया जायेगा।

14.6 सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14.7 इस नीति को लागू करने की दृष्टि से भविष्य में नये परिशिष्ट को जोड़ना, पुराने परिशिष्ट में संशोधन अथवा समाप्त करना अथवा वर्तमान प्रस्तावित ऑफलाईन प्रणाली को ऑनलाईन प्रणाली में परिवर्तित करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को होगा।

14.8 इस नीति के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी स्तर पर भ्रम अथवा विवाद की स्थिति में निर्देशों की व्याख्या का प्रथम अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को होगा।

14.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दी गई व्याख्या से संतुष्ट न होने की स्थिति में प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार सचिव, उच्च शिक्षा को होगा।

14.10 इस नीति के अंतर्गत यदि कोई बिंदु शामिल नहीं हो सके हैं तो भविष्य में इन्हें शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा।

Scanned with OKEN Scanner

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय महाविद्यालय (नाम.....)/विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला (नाम.....) के प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन/पुस्तकालय/खेल–कूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक ..... को सायं ..... बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :– विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट (महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट) में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
जिला–.....

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 1 अ

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारुप //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक / /आउशि/राज स्था/..... नवा रायपुर दिनांक .....एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक ..... नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ..... के अनुसार (संस्थान का नाम.....) में विषय..... में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक .....को सायं ..... बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1.						
2.						

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक ..... तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है । भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक .....को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि ..... तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक ..... को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	**40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	**60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	**दैनिक मानदेय**		
5	**विवरण**	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि कीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/–प्रतिदिन (40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य, ... एवं आवेदित विषय/पद आवशयक रुप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र् में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
जिला–.....

Scanned with OKEN Scanner

शपथपत्र
(50 रुपये के गैर–न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं..... पिता ..... उम्र ..... वर्ष रहवासी .....एतद् व्दारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 की व्यवस्था अंतर्गत मुझे .....विश्वविद्यालय की ..... अध्ययनशाला/महाविद्यालय ..... जिला .....के ..... विषय के प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) हेतु आमंत्रित किया गया है जिसे स्वीकार कर नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करुंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में इस आमंत्रण/व्यवस्था को निरस्त किया जा सकता है –

1. मैं छत्तीसगढ राज्य का/की मूल निवासी हूं/नहीं हूं।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3. मैं किसी अन्य शासकीयध्अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालयध्महाविद्यालय में शिकायतध्कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्तें मुझे मान्य है।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख व्दारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह

1.
2.

Scanned with OKEN Scanner

(संबंधित संस्था के प्रमुख व्दारा कार्यालय के लेटर हेड में दिये जाने वाले विस्थापन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य संतोषजनक प्रमाण पत्र के प्रारुप)

विस्थापित श्रेणी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के पालनार्थ इस महाविद्यालय के ..... विषय/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद पर डॉ/श्री/श्रीमती ..... व्दारा दिनांक ..... को पूर्वान्ह/अपरान्ह कार्यभार ग्रहण करने के कारण अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 की कंडिका 9 के अनुसार उक्त पद पर कार्यरत अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) डॉ/श्री/श्रीमती ..... की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्वमेव समाप्त हो जाती है। विस्थापित श्रेणी में आने के कारण आज दिनांक ..... को यह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। संस्था में पदस्थ प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी का कार्यभार ग्रहण की प्रति संलग्न है।

दिनांक –

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं सील

अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य संतोषजनक प्रमाणपत्र (विस्थापित श्रेणी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ/श्री/श्रीमती ..... ने इस संस्था में अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) के रुप में सत्र ..... में दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कुल ..... माह में ..... कालखण्ड/घण्टे (दिवस) कार्य संपादन किया है (अध्यापन कार्य हेतु कालखण्ड एवं अन्य हेतु घण्टे (दिवस)) । उक्त अवधि में इनका कार्य संतोषजनक/असंतोषजनक रहा। विस्थापत श्रेणी में आने के कारण आज दिनांक ..... को यह अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

दिनांक –

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं सील

अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य संतोषजनक प्रमाणपत्र

(प्रत्येक सत्र के अंत में 5 माह या अधिक की अवधि का अध्यापन/कार्य निष्पादन पर दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारुप)

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ/श्री/श्रीमती ..... ने इस संस्था में अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) के रुप में सत्र ..... में दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कुल ..... माह में ..... कालखण्ड/घण्टे (दिवस) कार्य संपादन किया है । उक्त अवधि में इनका कार्य संतोषजनक/असंतोषजनक रहा ।

दिनांक –

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं सील

Scanned with OKEN Scanner

(अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के प्रसूति/पी–एच.डी. अध्ययन अवकाश की स्वीकृति उपरांत वैकल्पक व्यवस्था के अंतर्गत वैकल्पक व्याख्याता हेतु शपथ पत्र का प्रारुप)

शपथपत्र

(50 रुपये के गैर–न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं, ... पिता ..... उम्र ..... वर्ष रहवासी .....एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 की कण्डिका 11.3 अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत मुझे ..... विश्वविद्यालय की ..... अध्ययनशाला/महाविद्यालय ..... जिला .....के ..... विषय में कार्यरत ..... अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) के पी–एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर वैकल्पिक व्याख्याता के रुप में आमंत्रित किया गया है, जिसे स्वीकार कर नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करुंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती हूं नियमों का पालन न करने की स्थिति में इस वैकल्पिक आमंत्रण/व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है –

1. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का/की मूल निवासी हूं/नहीं हूं ।
2. मुझे उपर्यक्त उल्लेखित संस्थान व्दारा वैकल्पिक व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी/शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/ क्रीड़ा सहायक हेतु आमंत्रित किया गया है ।
3. मुझे अवगत है कि अवकाश में प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) के अवकाश उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मेरी वैकल्पक व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जायेगी ।
4. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।
5. मैं किसी अन्य शासकीयध्अर्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालयध्महाविद्यालय में शिकायतध्कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
6. इस व्यवस्था के अंतर्गत मुझे मानदेय के अतिरिक्त अन्य लाभ विस्थापन इत्यादि प्राप्त नहीं होगा।
7. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्तें मुझे मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख व्दारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्तातक्षर

गवाह

1.
2.

Scanned with OKEN Scanner

अतिथि व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र

1. अतिथि व्यवस्था अंतगर्त कार्यरत का पूरा नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्मतिथि –
4. विषय –
5. मूल्यांकन अवधि (सत्र .....) –
   दिनांक .....से .....तक
6. पठन–पाठन संबंधी –

क्र.	कक्षा का स्तर	विद्यार्थियों की कुल संख्या	कार्यावधि में लिये गये व्याख्यान की संख्या			
			व्याख्यान	प्रायोगिक	ट्यूटोरियल	विशेष मार्गदर्शन
1	स्नातक स्तर					
	1.					
	2.					
	3.					
2	स्नातकोत्तर स्तर					
	1.					
	2.					

7. गत वर्ष का कक्षा–वार परीक्षा परिणाम –

क्र.	कक्षा का नाम	परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण की संख्या	परिणाम का प्रतिशत
1.				
2.				
3.				

8. वर्ष में किये गये अन्य अकादमिक कार्य – .....
   .....
   (शोध–पत्र प्रकाशन, संगोष्ठी, वर्कशॉप, आदि) .....
   .....

दिनांक

कार्यरत अतिथि के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

9. सहकर्मियों के साथ व्यवहार –

10. विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक का परिणाम –

11. सत्रावधि में किये गये कार्य के मूल्यांकन के अंक (कुल 100 अंक में से) –

क्र.	अध्यापन (30 अंक) (विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर 30 अंक एवं प्राचार्य के आधार पर 10 अंक)	परीक्षा परिणाम (30 अंक) (75% से अधिक 20 अंक, 55% से 75% तक 15 अंक, 35% से 55% तक 10 अंक, 33 से कम 0 अंक)	उपस्थिति (10 अंक) (75 से अधिक 10 अंक, 50 से 75, 5 शेष 0 अंक)	शैक्षणेत्तर कार्य पूर्ण करने में रुचि एवं तत्परता (10 अंक)	प्राचार्य द्वारा कार्य, व्यवहार एवं सहयोग के आधार पर प्रदत्त अंक (20 अंक)	प्राप्तांक
1.						

80 से ज्यादा प्रतिशत के लिये मूल्यांकन टीप – उत्कृष्ट
60 से ज्यादा एवं 80 से कम – बहुत अच्छा
45 से ज्यादा एवं 60 से कम – अच्छा
45 अथवा 45 से कम – साधारण

12. प्राचार्य का मूल्यांकन – 45 से अधिक प्राप्तांक पर संतोषजनक अन्यथा असंतोषजनक

दिनांक

प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

Scanned with OKEN Scanner